न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

पीठासीन अधिकारी :– श्री कपिल कुमार (RAS)

वाद पत्र संख्या :– 172 / 2023 दर्ज दिनांक– 04.12.2023

शीर्षक

सरोज कंवर पत्नि अमरसिंह, जाति राजपूत, निवासी राजनौता, तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान

वादीया

बनाम

1 अजयसिंह पुत्र बसन्तसिंह
2 संजयसिंह पुत्र बसन्तसिंह
3 अनिता कंवर पुत्री बसन्तसिंह
4 प्रकाश कंवर पत्नि स्व० बसन्तसिंह
5 कृष्णसिंह पुत्र रणजीतसिंह
6 बजरंगसिंह पुत्र रणजीतसिंह
7 राजवीरसिंह पुत्र रणजीतसिंह
8 लक्ष्मी कंवर पत्नि रणजीतसिंह
9 दर्शन कंवर पत्नि बजरंगसिंह
10 नूतनंसिंह पुत्र बद्रीसिंह
11 नरेन्द्रसिंह पुत्र बद्रीसिंह
12 नौरंगसिंह पुत्र बद्रीसिंह
13 विनोदसिंह पुत्र बद्रीसिंह
14 सन्तोष कंवर पुत्री बद्रीसिंह
15 प्रेमकंवर पत्नि बद्रीसिंह
16 रूपसिंह पुत्र रामूसिंह उर्फ रामेश्वरसिंह
17 सुमन देवी पत्नि कृष्णसिंह
18 हरिसिंह पुत्र रूपकिशोर समस्त जातियान राजपूत, निवासी राजनौता, तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान
19 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार साहब पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान
20 श्रीमान सब रजिस्ट्रार साहब पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान

प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांकः 01.07.2025

1. वादीया की ओर से जरिये विद्वान अधिवक्ता श्री सुभाष चन्द मीणा के द्वारा वादपत्र निम्नानुसार पेश है कि आराजी खसरा नम्बर 1621 / 0.03, 1622 / 0.30, 1623 / 0.31, 1624 / 0.30, 1625 / 0.32, 1626 / 0.33, 1627 / 0.29, 1628 / 0.71, 1629 / 0.03, 1630 / 0.77 कुल किता 10 कुल रकबा 3.39 हैक्टेयर वाके मौजा मंण्ढा, तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान में स्थित है। जमाबन्दी संलगन वाद पत्र है। उक्त आराजी के वादीया व प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 18 सहखातेदार काश्तकार है तथा अपने अपने हिस्से की आराजी पर काबिज काश्त है। वादीया का उक्त आराजी में हिस्सा 1 / 6 यानि 0.5650 हैक्टेयर भूमि आई हुई है तथा विवादित भूमि का बाहमी बंटवारा सन् 2008 में सभी खातेदारान ने आपसी सहमति से कर लिया था, तब से वादीया के पति अमरसिंह उक्त भूमि पर काबिज काश्त थे तथा सन् 2022 में वादीया के पति अमरसिंह ने वादीया के हक में दान पत्र कर दिया था तब से वादीया उनके स्थान पर काबिज है तथा काश्त कर रही है।

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

2. वादीया के हिस्से 1/6 में आराजी खसरा नम्बर 1630/0.77 में 0.3850 हैक्टेयर भूमि, आराजी खसरा नम्बर 1623/0.31 में 0.09 हैक्टेयर भूमि, आराजी खसरा नम्बर 1627/0. 29 में 0.07 हैक्टेयर भूमि आई हुई है तथा सामलाती मकान व चौबारा में वादीया का हिस्सा 0.02 ऐयर आया हुआ है तथा वादीया के हिस्से की आराजी में आने जाने हेतु रास्ता खसरा नम्बर 1623, 1624, 1625 से होता हुआ है जिससे होकर वादीया अपने हिस्से की आराजी में आती जाती है। शेष आराजी पर प्रतिवादीगण 1 लगायत 18 काबिज काश्त है। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 18 का वादीया के हिस्से की आराजी से कभी कोई लेना–देना ताल्लुक वास्ता नही रहा है। वादीया अपने हिस्से की आराजी पर शान्तिपूर्वक काबिज–काश्त करती चली आ रही है। आज भी मौके पर काबिज–काश्त है। उक्त आराजी का राजस्व रिकार्ड शामिल में होने की वजह से प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 18 आये दिन डोल–डंडीर, कब्ज़ा–काश्त,, लगान आदि को लेकर वादीया के हिस्से की आराजी के कब्जा–काश्त में मजाहमत पैदा करते हैं, पेड़ वगैरह काटने, खड्डे वगैरह खोदकर आराजी को खुर्द–बुर्द करनें, बाहमी बंटवारे के अनुसार विधिवत तकास्मा कराये बिना आराजी को दीगर लोगों को बेचान करने की धमकी देते है तथा वादीया को उसके हिस्से की आराजी से बेदखल करने पर उतारू है। जबकि प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 18 का वादीया के हिस्से की आराजी से कोई लेना–देना ताल्लुक अथवा वास्ता नही है, ना ही कभी रहा है। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 18 बाहमी बंटवारे के अनुसार बिना विधिवत तकास्मा कराये उक्त आराजीयात को दीगर लोगों को बेचान करने, पेड़ वगैरह काटने, खड्डे वगैरह खोदकर आराजी को खुर्द–बुर्द करने, वादीया को उसके हिस्से की आराजी से बेदखल करने में कामयाब हो गये तो वादीया को अजहद नुकसान होगा जो किसी भी सूरत में जरें नकद से कम्पनसैट नही किया जा सकेगा । वादीया के विधिक अधिकारों पर कुठाराघात होगा। वादीया को अनावश्यक मुकदमेंबाजी में फंसना पड़ेगा जिससे वाद बहुलता को बढ़ावा मिलेगा। वादीया ने प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 18 को कई मर्तबा कहा कि राज में चलकर आराजी का बाहमी बंटवारे के अनुसार विधिवत तकास्मा करवा लो तथा अपना–अपना खाता जुदागाना करवा लो तथा वादीया के हिस्से की आराजी के कब्जा–काश्त, उपयोग उपभोग में मजाहमत पैदा ना करो, आराजी में पेड़ वगैरह, ना काटो, आराजी में खड्डे वगैरह खोदकर आराजी को खुर्द–बुर्द मत करों, आराजी को दीगर लोगों को बेचान मत करों। लेकिन प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 18 नही मान रहे हैं तथा गत सप्ताह से आराजी का बाहमी बंटवारे के अनुसार विधिवत तकास्मा कराये बिना दीगर लोगों को बेचान करने की धमकी दे रहे है तथा वादीया को उसके हिस्से की आराजी से बेदखल करने की धमकी दे रहे है। समझाने से नही मानते है, साफ इन्कारी है। इसलिए माननीय न्यायालय में दावा पेश करना लाजिम आया। यही बिनाय दावा है। बिनाय दावा बिनाय मुखास्मत रोज इन्कारी प्रतिवादीगण से पैदा होती है अतः वाद अन्दर मियाद नियत न्यायशुल्क पर पेश है। वाका जायदाद माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित होने से माननीय न्यायालय को वाद सुनने व तैय करने का अधिकार है।

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

3. अतः वादीया दावेदार है कि एक किता डिकी तकास्मा एंव स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादीया खिलाफ प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर फरमाई जावे कि आराजी हाल खसरा नम्बर 1621/0.03, 1622/0.30, 1623/0.31, 1624/0.30, 1625/0.32, 1626/0.33, 1627/0.29, 1628/0.71, 1629/0.03, 1630/0.77 कुल किता 10 कुल रकबा 3.39 हैक्टेयर वाके मौजा मंण्ढा तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान का वादीया व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 18 के मध्य बाहमी बंटवारे के अनुसार विधिवत तकास्मा किया जाकर बाहमी बंटवारे के अनुसार वादीया के हिस्से 1/6 में आराजी खसरा 'नम्बर 1630/0.77 में 0. 3850 हैक्टेयर भूमि, आराजी खसरा नम्बर 1623/0.31 में 0.09 हैक्टेयर भूमि, आराजी खसरा नम्बर 1627 0.29 में 0.07 हैक्टेयर भूमि आई हुई है तथा सामलाती महान व चौबारा में वादीया का हिस्सा 0.02 ऐयर आया हुआ है का तन्हा रूप से खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे । इसी कदर कागजात माल में अमल दरामद किया जावे। अलग से पासबुक जारी की जावे। तथा प्रतिवादीगण सं. 01 लगायत 18 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से इस अमर के लिए पाबन्द किया जावे कि वादीया के हिस्से की आराजी के कब्जा–काश्त, उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की मजाहमत या दखलन्दाजी पैदा ना करें। वादीया को आराजीयात का शांतिपूर्वक उपयोग–उपभोग, कब्जा–काश्त करने देवें। सदा–सदा के लिए, ममनू व बाज रहें।

4. वादपत्र पेश होने पर काबिले समात पाया जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गए। विधिवित तामिल करवाई गई। प्रतिवादी सं. 01, 05, 06, 08, 09, 11, 12, 15 एवं 17 की ओर से विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आकर वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी सं. 01, 05, 08, 11, 15 एवं 17 की ओर जवाबदावा पेश किया, नकल वादी अधिवक्ता को दिलायी, शामिल मिसल किया गया। शेष प्रतिवादी संख्या 02, 03, 04, 07, 10, 13, 14, 16 एवं 18 बावजूद विधिवत तामिल अनुपस्थित रहे, इस कारण इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। दिनांक 12.11.2024 को वकील उभयपक्ष की बहस उपरान्त वाद को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार को बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट हेतू लिखा गया। दिनांक 16.06.2025 को तहसीलदार पावटा से कुर्रेजात बंटवारा रिपोर्ट प्राप्त हुई, जो आगामी नियत दिनांक पर शामिल पत्रावली की गई। वादी वकील ने तहसीदलार पावटा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार वाद को डिक्री करने हेतू निवदेन किया जिस पर प्रतिवादी वकील ने अनापत्ति जाहिर की। बहस पर मनन किया गया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया जाकर अध्ययन व मूल्यांकन किया गया। तहसीलदार पावटा से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार वाद अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित व न्यायसंगत है।

5 अतः तहसीलदार पावटा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार दावा अन्तिम डिक्री किया है। कि आराजी खसरा आराजी हाल खसरा न0 1621/0.03, 1622/0.30, 1623/0.31, 1624/0.30, 1625/0.32, 1626/0.33, 1627/0.29, 1628/0.71, 1629/0.03, 1630/0.77 कुल किता 10 कुल रकबा 3.39 हैक्टेयर वाके मौजा मंण्ढा, तहसील पावटा तहसील पावटा जिला कोटपूतली बहरोड राजस्थान के खातेदारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा कर उनकों पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है –

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

क.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर / रकबा
1	अजयसिंह पु. बसंतसिंह हि. 1/4 संजयसिंह पु. बंसतसिंह हि. 1/4 अनिता कंवर पुत्री बसंतसिंह हि. 1/4 प्रकाश कंवर पत्नि बंसतसिंह हि. 1/4	1629/0.03, 1630/1/0.39 हैक्ट0 भूमि ।
2	रूपसिंह पु. रामूसिंह उर्फ रामेश्वर सिंह हि. पूर्ण	1625/1/0.2750 हैक्ट0 भूमि
3	सरोज कंवर पत्नि अमरसिंह हि. पूर्ण	1623/2/0.07, 1627/3/0.06, 1630/2/0.38 हैक्ट0 भूमि।
4	नूतनसिंह, नरेन्द्रसिंह, नौरंगसिंह, विनोदसिंह पु. बद्रीसिंह, संतोष कंवर पु. बद्रीसिंह, प्रेमकंवर पत्नि बद्रीसिंह हि. बराबर	1624/1/0.2750 हैक्ट. भूमि
5	जसवंतसिंह पु. बजरंगसिंह हि. 1/45 सविताकंवर पु. बजरंगसिंह हि. 1/45 दर्शन कंवर पत्नि बजरंगसिंह हि. 24881/203400	1621/0.03, 1622/0.30, 1628/1/0.21 हैक्ट0 भूमि।
6	अजयसिंह, संजयसिंह पु. बसंतसिंह अनिता कंवर पुत्री बसंतसिंह प्रकाश कंवर पत्नी बसंतसिंह हि. 4/21, रूपसिंह पु. रामूसिंह उर्फ रामेश्वरसिंह हि. 17/21	1623/1/0.21 हैक्ट0 भूमि।
7	अजयसिंह, संजयसिंह पु. बसंतसिंह अनिता कंवर पुत्री बसंतसिंह प्रकाश कंवर पत्नि बसंतसिंह हि. 10/23, रूपसिंह पु. रामूसिंह उर्फ रामेश्वरसिंह हि. 13/23	1627/1/0.1150 हैक्ट0 भूमि।
8	अजयसिंह, संजयसिंह पु. बसंतसिंह, अनिता कंवर पुत्री बसंतसिंह, प्रकाश कंवर पत्नी बसंतसिंह हि. 1/3, रूपसिंह पु. रामूसिंह उर्फ रामेश्वरसिंह हि. 1/3 सरोज कंवर पत्नि अमरसिंह हि. 1/3	1627/2/0.1050 हैक्ट0 भूमि।
9	कृष्णसिंह पु. रणजीतसिंह 42/510 राजवीरसिंह पु. रणजीतसिंह 53/510 हरिसिंह पु. रामकिशोर हि. 14/51 लक्ष्मीकंवर पत्नि रणजीतसिंह 14/51 सुमन देवी पत्नि कृष्णसिंह 145/510	1628/2/0.50, 1627/4/0.01 हैक्ट0 भूमि।
10	अजयसिंह, संजयसिंह पु. बसंतसिंह, अनिता कंवर पुत्री बसंतसिंह, प्रकाश कंवर पत्नि बसंतसिंह हि. 1/6, रूपसिंह पु. रामूसिंह उर्फ रामेश्वरसिंह हि. 1/6 सरोज कंवर पत्नि अमरसिंह हि. 1/6 नूतनसिंह, नरेन्द्रसिंह, नौरंगसिंह, विनोदसिंह पु. बद्रीसिंह संतोष कंवर पुत्री बद्री सिंह, प्रेम कंवर पत्नि बद्रीसिंह हि 42/452	1623/3/0.03, 1624/2/0.0250, 1625/2/0.0450, 1626/2/0.03 हैक्ट0 भूमि।

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

	कृष्णसिंह पु. रणजीतसिंह 23/1695 राजवीरसिंह पु. रणजीतसिंह 473/33900 हरिसिंह पु. रामकिशोर हि. 1/15 लक्ष्मीकंवर पत्नि रणजीतसिंह 1/15 सुमन देवी पत्नि कृष्णसिंह 5387/67800 जसवंतसिंह पु. बजरंगसिंह हि. 1/45 सविताकंवर पु. बजरंगसिंह हि. 1/45 दर्शन कंवर पत्नि बजरंगसिंह हि. 24881/203400	
11	सुमन देवी पत्नि कृष्णसिंह 23/60 लक्ष्मीकंवर पत्नि रणजीतसिंह 8/30 हरिसिंह पु. रामकिशोर हि. 8/30 नूतनसिंह नरेन्द्रसिंह नौरंगसिंह विनोदसिंह पु. बद्रीसिंह, संतोष कंवर पुत्री बद्री सिंह, प्रेम कवंर पत्नि बद्रीसिंह हि. बराबर हि. 1/12	1626/1/0.30 हैक्ट0 भूमि।

तहसीलदार पावटा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार पावटा को लिखा जावें। वादी/प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक दूसरे के कब्जे कास्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें । पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 01.07.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

(कपिल कुमार, RAS)
उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

उपखण्ड अधिकारी पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

17/10/25 संशोधन नोट! — निर्णय पत्र के पृष्ठ संख्या 04 के क्रम संख्या 05 में वर्णित "जसवंतसिंह पु. बजरंगसिंह हि. 1/45 के स्थान पर 1/3" तथा "सविताकंवर पु. बजरंगसिंह हि. 1/45 के स्थान पर 1/3" व दर्शनकंवर पत्नि बजरंगसिंह हि. 24881/203400 के स्थान पर 29387/67800" इन्द्राज किया जाता है। पढ़ा जावे एवं क्र.सं. 09 पर वर्णित "राजवीरसिंह पु. रणजीतसिंह 53/10 के स्थान पर 43/10" इन्द्राज किया जाता है। पढ़ा जावे।

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

वाद पत्र संख्या :– 172/2023 दर्ज दिनांक– 04.12.2023

शीर्षक

सरोज कंवर पत्नि अमरसिंह, जाति राजपूत, निवासी राजनौता, तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान

वादीया

बनाम

1 अजयसिंह पुत्र बसन्तसिंह
2 संजयसिंह पुत्र बसन्तसिंह
3 अनिता कंवर पुत्री बसन्तसिंह
4 प्रकाश कंवर पत्नि स्व० बसन्तसिंह
5 कृष्णसिंह पुत्र रणजीतसिंह
6 बजरंगसिंह पुत्र रणजीतसिंह
7 राजवीरसिंह पुत्र रणजीतसिंह
8 लक्ष्मी कंवर पत्नि रणजीतसिंह
9 दर्शन कंवर पत्नि बजरंगसिंह
10 नूतनसिंह पुत्र बद्रीसिंह
11 नरेन्द्रसिंह पुत्र बद्रीसिंह
12 नौरंगसिंह पुत्र बद्रीसिंह
13 विनोदसिंह पुत्र बद्रीसिंह
14 सन्तोष कंवर पुत्री बद्रीसिंह
15 प्रेमकंवर पत्नि बद्रीसिंह
16 रूपसिंह पुत्र रामूसिंह उर्फ रामेश्वरसिंह
17 सुमन देवी पत्नि कृष्णसिंह
18 हरिसिंह पुत्र रूपकिशोर समस्त जातियान राजपूत, निवासी राजनौता, तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान
19 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार साहब पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान
20 श्रीमान सब रजिस्ट्रार साहब पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान

प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा

अतः तहसीलदार पावटा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार दावा अन्तिम डिक्री किया है। कि आराजी खसरा आराजी हाल खसरा न0 1621/0.03, 1622/0.30, 1623/0.31, 1624/0.30, 1625/0.32, 1626/0.33, 1627/0.29, 1628/0.71, 1629/0.03, 1630/0.77 कुल किता 10 कुल रकबा 3.39 हैक्टेयर वाके मौजा मंण्ढा, तहसील पावटा तहसील पावटा जिला कोटपूतली बहरोड राजस्थान के खातेदारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा कर उनकों पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है–

क.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर/रकबा
1	अजयसिंह पु. बसंतसिंह हि. 1/4 **संजयसिंह पु. बंसतसिंह हि. 1/4** **अनिता कंवर पुत्री बसंतसिंह हि. 1/4** **प्रकाश कंवर पत्नि बंसतसिंह हि. 1/4**	**1629/0.03, 1630/1/0.39 हैक्ट0 भूमि ।**
2	रूपसिंह पु. रामूसिंह उर्फ रामेश्वर सिंह हि. पूर्ण	**1625/1/0.2750 हैक्ट0 भूमि**

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

3	सरोज कंवर पत्नि अमरसिंह हि. पूर्ण	1623/2/0.07, 1627/3/0.06, 1630/2/0.38 हैक्ट0 भूमि।
4	नूतनसिंह, नरेन्द्रसिंह, नौरगसिंह, विनोदसिंह पु. बद्रीसिंह संतोष कंवर पु. बद्रीसिंह, प्रेमकंवर पत्नि बद्रीसिंह हि. बराबर	1624/1/0.2750 हैक्ट. भूमि
5	जसवंतसिंह पु. बजरंगसिंह हि. 1/45 सविताकंवर पु. बजरंगसिंह हि. 1/45 दर्शन कंवर पत्नि बजरंगसिंह हि. 24881/203400	1621/0.03, 1622/0.30, 1628/1/0.21 हैक्ट0 भूमि।
6	अजयसिंह, संजयसिंह पु. बसंतसिंह अनिता कंवर पुत्री बसंतसिंह प्रकाश कंवर पत्नी बसंतसिंह हि. 4/21, रूपसिंह पु. रामूसिंह उर्फ रामेश्वरसिंह हि. 17/21	1623/1/0.21 हैक्ट0 भूमि।
7	अजयसिंह, संजयसिंह पु. बसंतसिंह अनिता कंवर पुत्री बसंतसिंह प्रकाश कंवर पत्नि बसंतसिंह हि. 10/23, रूपसिंह पु. रामूसिंह उर्फ रामेश्वरसिंह हि. 13/23	1627/1/0.1150 हैक्ट0 भूमि।
8	अजयसिंह, संजयसिंह पु. बसंतसिंह, अनिता कंवर पुत्री बसंतसिंह, प्रकाश कंवर पत्नी बसंतसिंह हि. 1/3, रूपसिंह पु. रामूसिंह उर्फ रामेश्वरसिंह हि. 1/3 सरोज कंवर पत्नि अमरसिंह हि. 1/3	1627/2/0.1050 हैक्ट0 भूमि।
9	कृष्णसिंह पु. रणजीतसिंह 42/510 राजवीरसिंह पु. रणजीतसिंह 53/510 हरिसिंह पु. रामकिशोर हि. 14/51 लक्ष्मीकंवर पत्नि रणजीतसिंह 14/51 सुमन देवी पत्नि कृष्णसिंह 145/510	1628/2/0.50, 1627/4/0.01 हैक्ट0 भूमि।
10	अजयसिंह, संजयसिंह पु. बसंतसिंह, अनिता कंवर पुत्री बसंतसिंह, प्रकाश कंवर पत्नि बसंतसिंह हि. 1/6, रूपसिंह पु. रामूसिंह उर्फ रामेश्वरसिंह हि. 1/6 सरोज कंवर पत्नि अमरसिंह हि. 1/6 नूतनसिंह, नरेन्द्रसिंह, नौरंगसिंह, विनोदसिंह पु. बद्रीसिंह, संतोष कंवर पुत्री बद्री सिंह, प्रेम कंवर पत्नि बद्रीसिंह हि 42/452 कृष्णसिंह पु. रणजीतसिंह 23/1695 राजवीरसिंह पु. रणजीतसिंह 473/33900 हरिसिंह पु. रामकिशोर हि. 1/15 लक्ष्मीकंवर पत्नि रणजीतसिंह 1/15 सुमन देवी पत्नि कृष्णसिंह 5387/67800 जसवंतसिंह पु. बजरंगसिंह हि. 1/45 सविताकंवर पु. बजरंगसिंह हि. 1/45 दर्शन कंवर पत्नि बजरंगसिंह हि. 24881/203400	1623/3/0.03, 1624/2/0.0250, 1625/2/0.0450, 1626/2/0.03 हैक्ट0 भूमि।

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

11	सुमन देवी पत्नि कृष्णसिंह 23/60 लक्ष्मीकंवर पत्नि रणजीतसिंह 8/30 हरिसिंह पु. रामकिशोर हि. 8/30 नूतनसिंह नरेन्द्रसिंह नौरंगसिंह विनोदसिंह पु. बद्रीसिंह, संतोष कंवर पुत्री बद्री सिंह, प्रेम कवंर पत्नि बद्रीसिंह हि. बराबर हि. 1/12	1626/1/0.30 हैक्ट0 भूमि।

तहसीलदार पावटा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। पक्षकारान को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बटवारा अनुसार एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें।

निर्णय आज दिनांक 01.07.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

(कपिल कुमार, RAS)
उप खण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल	|	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	|
जोड़		जोड़	

17/10/25 संशोधन नोट:- डिक्री भाग के क्रम संख्या 05 पर वर्णित 'जलवंतसिंह पु. बजरंगसिंह हि. 1/45 के स्थान पर 1/3' व 'सविताकंवर पु. बजरंगसिंह हि. 1/45 के स्थान पर 1/3' तथा 'दर्शनकंवर पत्नि बजरंगसिंह हि. 24881/203400 के स्थान पर 29387/67800' दुरुस्त किया जाता है। पढ़ा जावे। तथा क्रम संख्या 09 पर वर्णित "राजवीरसिंह पु. रणजीतसिंह 53/10 के स्थान पर 43/10" दुरुस्त किया जाता है। पढ़ा जावे।

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)